न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

विविध प्रकरण कमांक 9006–तीन/2016 विरूद्ध इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11–6–2013 प्रकरण कमांक निगरानी 2619–एक/2013 के आदेश की अवमानना हेतु।

1. अकबर खां पिता मोती खां
2. कमाल खां पिता अकबर खां
3. शाबिर पिता अकबर खं
4. शाकीर पिता अकबर खां
   निवासीगण ग्राम पंथमुंडला तहसील
   व जिला देवास म0प्र0

----- आवेदकगण

विरूद्ध

1. याकूब खां पिता अब्बास खां
   निवासी ग्राम पंथमुंडला तहसील
   व जिला देवास म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
   विनोद राठौर तत्कालीन नायब तहसीलदार
   देवास हा0मु0 नायब तहसीलदार इन्दौर
   परिसर कलेक्टर कार्यालय इन्दौर म0प्र0

----- अनावेदकगण

श्री ए0आर0 बेग, अभिभाषक –आवेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 28 मार्च 2016 को पारित)

यह प्रकरण आवेदक द्वारा इस न्यायालय के आदेश 05–5–1999 की अवमानना हेतु आदेश 39 नियम 02(ए) एवं धारा 151 सी0पी0सी0 तथा धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत अवमानना बावत प्रस्तुत किया है।

2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 ने सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 5/अ–12/2012–13 में सीमांकन आदेश

24–3–2013 को आवेदक की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा पाया तत्पश्चात प्रस्तुत रिपोर्ट पर से दिनांक 6–5–2013 को प्रकरण समाप्त किया। सीमांकन के पश्चात आवेदक के विरूद्ध धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तग्रत कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी 2619–एक/2013 प्रस्तुत की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–6–2013 को सीमांकन आदेश को तीन माह तक के स्थगित रखा गया। यह भी तर्क दिया कि नायब तहसीलदार ने इस न्यायालय के सीमांकन आदेश को न मानते हुये सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 23–8–13 नियत कर दी तथा स्थगन को न मानते हुय अभिलेख भी इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराया। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 के समक्ष धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 11–2–14 को पेश कर कार्यवाही स्थगित करने हेतु प्रस्तुत किया जिसे अनावेदक कमांक 2 द्वारा दिनांक 03–3–14 को निरस्त कर दिया गया। अतः अनावेदक कमांक 2 द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। अतः अवमानना प्रकरण स्वीकार कर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–6–2013 को स्थगन आदेश पारित करने से उक्त आदेश तहसील न्यायालय में कब और किस व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया यह बतलाने अथवा दस्तावेजों से सिद्ध करने में असमर्थ रहे। इसके अतिरिक्त आवेदक के तर्कों के अनुसार इस न्यायालय ने दिनांक 11–6–2013 को स्थगन आदेश जारी करते हुये तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 5/अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश को स्थगित किया था, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही दिनांक 4–6–2013 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत

आवेदन पर प्रकरण कमांक 04/अ–70/2012–13 में की जा रही थी जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही जारी रखी। आवेदक यह सिद्ध भी नहीं कर सके कि 11–6–13 को नायब तहसीलदार द्वारा क्या अग्रिम आदेश किया, मात्र पेशी नियत करने की कार्यवाही को अवमानना का आधार नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में यह कहा है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 03–3–14 को स्थगन आदेश दिनांक 11–6–13 की स्थगन अवधि के 8 माह बाद आवेदक द्वारा कार्यवाही स्थगित रखने संबंधी आवेदन को निरस्त किया। चूंकि इस न्यायालय द्वारा मात्र तीन माह का स्थगन दिया है था। इसके पश्चात उसके पक्ष में प्रदाय स्थगन भी आवेदक प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे यह सिद्ध हो सके कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने पर भी न्यायालय में आदेश किया गया तथा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। अतः आवेदक अपने तर्कों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध होता हो कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना सिद्ध हो। अतः यह अवमानना प्रकरण आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर